श्री चैतन्य प्रसाद (भा०प्र०से०) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना सह–प्रभारी प्रधान सचिव, औरंगाबाद जिला की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.2018 को औरंगाबाद समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः पंजी में दर्ज।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.07.2018 को औरंगाबाद समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न योजनाओं एवं बाढ़–सुखाड़ की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें जिला पदाधिकारी एवं अन्य जिलास्तरीय पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित थे। बैठक के क्रम में निम्नवत निर्देश दिये गये :–

- "आर्थिक हल, युवाओं को बल" संबंधी मामले :–

i. इस कार्यक्रम अन्तर्गत स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गयी। प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0 औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि इसमें अब तक कुल 1301 आवेदन ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1112 छात्रों को डी0आर0सी0सी0 में बुलाया गया। 1112 में से टी0पी0ए0 को सत्यापन हेतु 1070 आवेदन उपलब्ध कराया गया। सत्यापनोपरांत टी0पी0ए0 द्वारा 1036 आवेदन उपलब्ध कराये गये हैं। इनमें से 871 आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा स्वीकृत कर अग्रसारित किया जा चुका है।

ii. विगत माह में कम संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्रथम तिमाही मे कम आवेदन प्राप्त होने के संबंध पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा बताया गया कि इस जिले में टेक्नीकल कॉलेज मात्र तीन है, इसलिए यहाँ छात्रों की संख्या भी बहुत कम है। यह भी कम आवेदन प्राप्त होने का एक कारण है। साथ ही लोन भी नहीं मिल रहा है इसलिए भी बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं दे रहे हैं।

iii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) को निदेश दिया गया कि सभी कॉलेजो से नामांकन की जानकारी प्राप्त कर लें तथा वहाँ पर काउण्टर खोलें और आवेदन लें। यह भी निदेश दिया गया कि यदि अब बैंक के माध्यम से लोन नहीं दिया जात है बल्कि वित्त निगम के माध्यम से लोन दिया जाता है तो बैंक से आवेदन लेकर वित्त निगम को भेज दें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि बैंक द्वारा जो आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, उसे देखें कि किस कारण से उसे रिजेक्ट किया गया है।

iv. प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि लम्बित आवेदन पत्रों की सं0–25, रिजेक्ट आवेदन पत्रों की सं०–46 तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सं०–74 है। यह भी बताया कि 150 आवेदन अभी बैंक मे नहीं भेजे गये है तथा अप्रैल, 2018 से अब तक 47 आवेदन प्राप्त हुए है। यह भी जानकारी दी गयी कि बैंक में भेजे गये आवेदनों में से 25 आवेदन बैंक से नहीं आया है। शेष सभी आ गया है। 270 आवेदन अभी डी0आर0सी0सी0 में है, जिसे वित्त निगम को भेज दिया जायेगा।

प्रबंधक डी0आर0सी0सी0 को निदेश दिया गया कि 270 आवेदन जो डी0आर0सी0सी0 स्तर पर लम्बित है उसे वित्त निगम को शीघ्र भेज कर जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना –

i. इस योजना अन्तर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा बताया गया कि सभी माध्यमिक +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सूचित कर दिया गया है कि जो छात्र–छात्रा +2 पास कर गया है और आगे भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसे इस योजना की जानकारी दें।

ii. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) द्वारा बताया गया कि इस साल कुल 2160 छात्र +2 में पास किया है। निदेश दिया गया कि जो भी विद्यार्थी 12वीं पास किया है, उसके अभिभावक को पत्र के माध्यम से इस योजना की जानकारी दें। यह भी निदेश दिया गया कि इसमें पिछले दो साल में पास किये गये लड़कों को भी जोड़े।

iii. प्रबंधक डी0आर0सी0सी0 द्वारा बताया गया कि जो बच्चे +2 की पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, उन्हें रोजगार खोजने के लिए 1000 (एक हजार) रू0 भत्ता स्वरूप दो साल तक दिया जाता है। इस योजना में आवेदकों की संख्या कम रहने के संबंध में प्रबंधक द्वारा बताया गया कि अधिकत्तर छात्र+2 में नामांकन कराकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और जो पास करते है वह आगे पढ़ाई करने के लिए नामांकन करा लेते है, जो लोग आगे की पढ़ाई नहीं करते, कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र कॉलेज में छोड़ देते हैं। इसी कारण बहुत कम आवेदन आते हैं, जबकि इसमें +2 का कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है।

निदेश दिया गया कि जो छात्र कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र कॉलेज में छोड़ देते हैं, उन्हें यह बताये कि वे कॉलेज से कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र ले लें और उनको आवेदन लेकर इस योजना का लाभ दिलायें।

- <u>कुशल युवा कार्यक्रम</u> :–

इस कार्यक्रम में इस वर्ष अब तक कुल 274 आवेदन आया है, जो पिछले साल से कम है। निदेश दिया गया कि इसका प्रचार–प्रसार करायें ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और इसमें आयें। यह भी निदेश दिया गया कि इस कार्यक्रम के तहत जो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उन्हें उपयुक्त कार्य पर लगाने हेतु भी प्रयास किया जाय। इस योजना का होर्डिंग बैनर लगाकर प्रचार–प्रसार कराये ताकि लोग ट्रेनिंग के लिए आकर्षित हों।

- <u>विद्युत</u> :–

i. विद्युत कार्यपालक अभियंता (प्रोजेक्ट), औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि सर्वे के अनुसार इस जिले में 366898 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास बिजली उपलब्ध नहीं है। किन्तु सत्यापन कराने पर इसकी संख्या घट कर 298847 ऐसे लोग पाये गये, जिनके पास बिजली उपलब्ध नहीं है। संख्या घटने के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि यदि एक परिवार में तीन भाई हैं तो सर्वे के समय उसे तीन परिवार लिखा दिया गया किन्तु जब कनेक्शन लेने की बात आयी तो तीन भाई का एक ही परिवार बताया जाता है।

ii. विद्युत कार्यपालक अभियंता (प्रोजेक्ट) औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 12वीं प्लान में औरंगाबाद के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य अगस्त 2014 में मेसर्स ई0एम0सी0 कम्पनी को दिया गया था। मेसर्स ई0एम0सी0 कम्पनी द्वारा काफी धीमी गति से कार्य करने के कारण ई0एम0सी0 कम्पनी को सवलेट कर मेसर्स लेजर पावर एण्ड ईन्फ्रा कम्पनी को 881 राजस्व ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर 2016 में दिया गया। वर्तमान में कार्य की प्रगति को संतोषजनक बताया गया। मेसर्स ई0एम0सी0 कम्पनी और मेसर्स लेजर पावर एण्डा ईन्फ्रा कम्पनी द्वारा बी0पी0एल कनेक्शन देने हेतु कार्य किया जा रहा है। मेसर्स निकान इंजिनियरिंग कम्पनी द्वारा सौभाग्य योजना के तहत ए0पी0एल0 कनेशक्शन देने का कार्य किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि कुल 1742 गांवों में विद्युतीकरण कार्य करना है। अक्टूबर 2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। 385 गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है।

iii. कार्य करने संबंधी चार्ट के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि जुलाई माह में 150 एवं अगस्त में 150 का लक्ष्य रखा गया है। अलग से चार्ट नहीं बनाया गया है।

iv. यह भी बताया गया कि 309 गाँव ऐसे है, जहां बिजली पहुंचाना है। 3493 गांव में ट्रांसफर्मर लगाना था, जिसमें से 3143 गाँव में लगा दिया गया है, शेष 350 गाँव ऐसे हैं जहां ट्रांसफर्मर पहुँचाना है। यह भी बताया गया कि अभी एक लाख कनेक्शन देना बाकी है। प्रत्येक माह 15000 कनेक्शन एवं प्रतिदिन 800 कनेक्शन देने का लक्ष्य है।

v. माह जून का लक्ष्य के संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि माह जून में 10200 कनेक्शन हुआ था। निदेश दिया गया कि छः माह में एक लाख कनेक्शन करना है तो प्रतिमाह 17000 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करना सुनिश्चित किया जाय।

- <u>हर घर नल का जल (ग्रामीण)</u> :–

i. निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व0 नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 2800 वार्ड है, जिसे नल का जल उपलब्ध कराना है, जिसका 3 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। प्रथम वर्ष में 995 वार्ड को लिया गया है। यह भी बताया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, औरंगाबाद को 38 पंचायत में नल का जल से संबंधित कार्य कराना है। ये सभी वार्ड फ्लोराईड प्रभावित हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में 38 पंचायतों में कुल 110 योजनाएं ली गयी है, जिसमें अब तक 2 योजना का कार्य पूर्ण हुआ है। यह भी बताया गया कि क्वालिटी टेस्ट करने के बाद ही काम शुरू करने का निदेश प्राप्त है।

निदेश दिया गया कि सभी योजनाओं में क्वालिटी टेस्ट ससमय कराकर निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया है कि 183 का वार्डवार सूची बनाये और किस–किस कारण से काम प्रारंभ नहीं हुआ है उसे अलग–अलग बांट दें और समीक्षा कर उसका समाधान करते हुए काम करायें।

ii. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल द्वारा यह बताया गया कि 16 वार्ड में काम चल रहा है। 37 योजना का डी0पी0आर0 बन गया है, जिसमें से 5 योजना का टेण्डर प्रक्रिया पूरा होने वाला है एवं 32 योजना का टेण्डर इस माह में हो जायेगा।

- <u>हर घर नल का जल (शहरी)</u> :–

i. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में वर्ष 2017–18 में 1306 घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य था तथा 2018–19 में 6532 घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से अभी 8 वार्ड में कार्य प्रारंभ किया गया है, किन्तु अभी किसी भी योजना में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

निदेश दिया गया कि कार्य में तेजी लाये और शीघ्र पूरा करायें।

ii. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में कुल 285 घरों में एवं 2018–19 में 6053 घरों में नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें से 25 वार्ड में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। निर्देश दिया गया कि कार्य में तेजी लाकर ससमय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।

iii. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर द्वारा बताया गया कि नवीनगर में कुल 14 वार्ड के लिए 15 टेण्डर हो गया है। सभी टेण्डर दिनांक–03.08.2018 को खुलेगा। निर्देश दिया गया कि कार्य में तेजी लाकर ससमय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।

iv. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत रफीगंज में कुल 16 वार्ड है, जिसमें अभी तीन वार्ड में कार्य प्रारंभ हुआ है। निर्देश दिया गया कि कार्य में तेजी लाकर ससमय लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।

- **हर घर तक पक्की गली–नाली योजना (ग्रामीण)–**

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व–नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 2282 वार्डों में पक्की गली–नाली बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 116 वार्डों में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। 1397 वार्डों में कार्य प्रारंभ है। निदेश दिया गया कि योजना का नियमित पर्यवेक्षण करते रहें और कार्य बाधित नहीं हो, इसे सुनिश्चित करेंगें।

- **हर घर तक पक्की गली–नाली योजना (ग्रामीण)–**

i. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में दो राउण्ड का कार्य पूरा हो गया है। निदेश दिया गया कि किये गये कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं तथा भविष्य में भी जो कार्य होगा, उससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते रहेंगे।

ii. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर द्वारा बताया गया कि 14 वार्ड में से 13 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है। कच्ची गली–नाली नहीं है। एक वार्ड में अभी काम नहीं हुआ है।

iii. कार्यपालक पदाधिकारी, रफीगंज द्वारा बताया गया कि रफीगंज शहरी क्षेत्र में दूसरे राउण्ड में कुछ काम बाकी है। निदेश दिया गया कि जो भी काम हुआ है, उसकी जांच करा लें।

- **शौचालय निर्माण योजना (ग्रामीण)–**

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 46 प्रतिशत शौचालय अभी तक बना है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्लान बनाकर माह दिसम्बर 2018 तक अनिवार्य रूप से शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

- **शौचालय निर्माण योजना (शहरी)–**

i. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नबीनगर द्वारा बताया गया कि आई0एच0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत 1277 लोगों को घर एवं शौचालय दिया जाना था। शौचालय निर्माण के लिए एक एन0जी0ओ0 (महात्मा फूले वेलफेयर सोसाईटी नेऊरा, पटना) को ठेका दिया गया। साथ ही, उसे डेढ़ करोड़ रूपया अग्रिम भी दे दिया गया, लेकिन उसके द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया। पुनः उन लाभुकों को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय देना संभव नहीं हो पा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से मिल कर संबंधित एन0जी0ओ0 से राशि वसूली की कार्रवाई करें।

ii. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि लक्ष्य 934 के विरूद्ध 517 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। निदेश दिया गया कि शेष में इस माह में काम शुरू कराना सुनिश्चित करें।

iii. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, दाउदनगर द्वारा बताया गया कि दाउदनगर शहरी क्षेत्र में 1540 लक्ष्य के विरूद्ध 939 का कार्य पूर्ण हो गया है और 273 में काम चल रहा है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सामुदायिक शौचालय का प्राक्कलन कनीय अभियंता के पास है। निदेश दिया गया कि तुरंत टी0एस0 कराकर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

iv. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, रफीगंज द्वारा बताया गया कि 02 सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जो पूर्ण होने की स्थिति में है।

v. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद को निर्देश दिया गया कि निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय को माह अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जाय।

- **स्वास्थ्य** :–

i. सिविल सर्जन, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत इस जिले को 71000 का वार्षिक लक्ष्य प्राप्त है, अब तक 55 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की जा चुकी है। प्रतिशत बढ़ाने के उपाय के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इनके द्वारा बताया गया कि कुछ लोग निजी अस्पताल में चले जाते हैं, जिसके कारण लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है।

निदेश दिया गया कि निजी अस्पताल से भी डाटा प्राप्त करें ताकि लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त किया जा सके।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह मई–जून 2018 में उपलब्धि बहुत ही कम है। जून–जुलाई से quarterly बाँट कर लक्ष्य निर्धारित करें।

ii. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) द्वारा बताया गया कि दो माह से राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण गर्भवती महिला को पोषाहार नहीं दिया जा रहा है। अब राशि प्राप्त हो गया है।

निदेश दिया गया कि जिस केन्द्र पर 10 बच्चे रहते हैं और किसी माह में 8 हो जाते हैं तो उसे नियमानुसार राशि की कटौती कर राशि उपलब्ध कराया जाय।

- **शिक्षा** :–

जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रम बनायें। यह भी निदेश दिया गया कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन, छात्रों की संख्या के अनुपात में विभागीय निदेश के आलोक में किया जाय।

- **कृषि** :–

जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं एवं बाढ़/सुखाढ़ से निपटने हेतु की गयी तैयारी संबंधी विस्तृत जानकारी दी गयी।

- **पशुपालन** :–

जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में सभी प्रकार की दवा इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

- **ग्राम स्वराज अभियान** :–

इस योजना के संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम स्वराज अभियान के प्रथम चरण में इस जिला के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल 44 पंचायत चयनित किए गए थे, जिसमें दिनांक 14.04.2018 से दिनांक–05.05.2018 के बीच अभियान चला कर भारत सरकार के सात फ्लैगशिप कार्यक्रम यथा मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, शौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सभी योग्य लाभुकों का शत्प्रतिशत संतृत्त किया जाना था, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन योजना, मिशन इन्द्रधनुष के तहत शतप्रतिशत संतृप्तता प्राप्त किया गया। मात्र प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 38–38 ग्रामों का आच्छादन हुआ है। उपरोक्त सभी कार्यक्रम में प्रगति की स्थिति के बारे में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा योजनावार निम्नवत विस्तृत जानकारी प्रतिवेदित किया गया :–

i. **मिशन इन्द्रधनुष**–इसके तहत 201 गांवों में दो साल से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती माताओं को प्रतिरक्षित करने हेतु सर्वे करने का कार्य चल रहा है, जिसमें 466 बच्चों एवं 130 गर्भवती माताओं को चिन्हित किया गया है।

ii. **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)** – इस योजना के तहत इस जिले के कुल लक्ष्य 73627 के विरूद्ध 28221 घरों में विद्युत सम्पर्कता प्रदान की गई है। इस प्रकार लगभग 35 प्रतिशत सम्पर्कता प्राप्त कर ली गई है।

iii. **प्रधानमंत्री उजला योजना**– इस योजना के तहत LED बल्बों का वितरण किया जाना है, परन्तु भारत सरकार के स्तर से इसके भेण्डरों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, फलस्वरूप औरंगाबाद जिला में इसकी उपलब्धि शून्य है।

iv. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना**– इसके तहत गैस कनेक्शन हेतु 36311 का लक्ष्य है, जिसके विरूद्ध जून माह में 4302 की उपलब्धि प्राप्त हुई है।

v. **प्रधानमंत्री जनधन योजना**– इस योजना के तहत 30856 के विरूद्ध 8058 की उपलब्धि प्राप्त है। इस प्रकार लगभग 26 प्रतिशत योग्य लाभुकों की संतृप्तता प्रदान की गई।

vi. **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना**– इस योजना के तहत 30103 लक्ष्य के विरूद्ध 5671 उपलब्धि है, जो लगभग 19 प्रतिशत है।

vii. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना**– इसमें 22110 लक्ष्य के विरूद्ध 3206 की उपलब्धि है जो लगभग 14.5 प्रतिशत है।

viii. **विस्तारित ग्राम स्वराज्य अभियान** –इस योजना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 के बीच यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को चयनित किया गया है, जिसकी संख्या 801 है। इस प्रकार इस जिले के लगभग आधे गावों को भारत सरकार के सात फलैगशिप योजनओं के तहत सभी योग्य लाभुकों को शतप्रतिशत संतृत करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। साथ ही 5 फोकस एरिया यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पोषण एवं कौशल विकास से संबंधित सूचकांकों में भी व्यापक उपलब्धि प्राप्त की जानी है।

भारत सरकार के 5 फोकस एरिया एवं आकांक्षी जिला के महत्वपूर्ण सूचकांकों के संबंध में विस्तृत जानाकरी देते हुए बताया गया कि :–

i. **स्वास्थ्य**– इसके तहत औरंगाबाद जिला में 2 हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर प्रस्तावित है, जिसे क्रियाशील बनाने का प्रयास चल रहा है। साथ ही इस जिले में 596 यक्ष्मा के रोगी है, जिसे पोषण हेतु सहायता उपलब्ध करानी है, जिसकी दिशा में कार्य जा रहा है।

ii. **शिक्षा**– इस जिला में बालिका एवं सह शिक्षा हेतु 2093 विद्यालय हैं, जिसमें से 1700 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है एवं 1811 विद्यालयों में पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। इन 2093 विद्यालयों में से 1885 विद्यालयों में पाठ्य–पुस्तके उपलब्ध करा दी गई है।

iii. **कृषि कल्याण अभियान**– इस जिले में जून माह में 189 मृदा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, 1553 दलहन एवं तेलहन के मिनी किट वितरित किए गए है। साथ ही 3437 Bovine Vaccination 436 बकरियों तथा भेड़ों का Vaccination 13 कृत्रिम गर्भाधान तथा 116 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

iv. **पोषण**– पोषण कार्यक्रम के तहत इस जिला में 1173 BHSND दिवस आयोजन किए गए हैं, जिसमें 14508 लोगों ने भाग लिया। साथ ही 624 समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 5711 लोगों ने भाग लिया। महिला शक्ति के तहत औरंगाबाद जिले में 9119 महिलायें जागरूकता फैलाने हेतु पहुंची है।

v. **कौशल विकास–** इसके तहत इस जिला में 35 अभ्यर्थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आये हैं तथा 68 ग्रामीण युवा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु कौशल पंजी में पंजीकृत किए गए है।

- **बाढ़ एवं सुखाड़ नियंत्रण संबंधी मामले :-**

i. जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि माह जून में 136.1 मि0मी0 वर्षा होनी चाहिए थी, जिसके विरूद्ध जिले में 71.6 मि0मी0 वर्षा हुई है। जुलाई माह में अब तक 40.2 मि0मी0 वर्षा हुई है।

ii. बिचड़ा आच्छादन के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नहरी क्षेत्र में 100 प्रतिशत बिचड़ा आच्छादित किया जा चुका है तथा गैर नहरी क्षेत्र में 80–85 प्रतिशत बिचड़ा आच्छादित किया गया है। इन क्षेत्रों में दिनांक 15.07.2018 तक शत्–प्रतिशत बिचड़ा का आच्छादन हो जायेगा। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि अब तक 125 हेक्टेयर में रोपनी का कार्य किया जा चुका है।

iii. नहर प्रणाली में पानी की उपलब्धता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि उत्तर कोयल नहर की कुल क्षमता 2960 क्यूसेक पानी की है, जिसमें आज 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल कम पानी छोड़ा गया है। यदि वर्षा नहीं होगी तो नहर में पानी नहीं आ पायेगा क्योंकि यह नहर वर्षा पर आधारित है।

iv. पटना कैनाल के कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि अभी नहर में पानी आया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, फिर भी कैचमेंट एरिया में पानी पहुँचाया जा रहा है।

v. सोन उच्चस्तरीय नहर में पानी की उपलब्धता के संबंध में कार्यपालक अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि नहर प्रणाली (सोन) में पानी आया है, जिससे पटवन किया जा रहा है।

vi. कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि इस जिला में राजकीय नलकूपों की संख्या 89 है, जिसमें से 21 चालू है, 68 बंद है। नाबार्ड के नलकूपों की कुल सं0–30 है, जिसमें से 19 चालू है, 11 बंद है। बन्द पड़े राजकीय नलकूपों की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार कर समर्पित किया जा चुका है।

vii. वर्षामापक यंत्र के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड में एक–एक वर्षामापक यंत्र उपलब्ध है, जो चालू भी है। बाढ़ की संभावना के संबंध में बताया गया कि इस जिले में बाढ़ की कोई संभावना नहीं है। लाईफ जैकेट की उपलब्धता के संबंध में इनके द्वारा बताया गया कि लाईफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो गोदाम में रखा हुआ है।

viii. GPS के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि सभी संबंधितों को GPS उपलब्ध करा दिया गया है।

ix. सिविल सर्जन, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि आपात स्थिति के लिए सभी तरह की आवश्यक जीवनरक्षक दवाईयाँ (सर्पदंश सहित) एवं ब्लीचींग पाउडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि त्वचाजनित रोग से संबंधित दवाईयाँ भी भण्डार में रखें।

x. जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि सभी प्रकार की आवश्यक पशु दवाईयाँ (36 प्रकार) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह भी बताया गया कि फरवरी–मार्च में जो दवा/वैक्सीन

(एच0एस0भी0क्यू0) पशुओं को दी जाती है वह दी जा चुकी है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वैक्सीन पटना से आता है तथा दवा जिला स्तर पर क्रय किया जाता है।

xi. पशुचारा की उपलब्धता के संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी चारा उपलब्ध नहीं है। निविदा की प्रक्रिया की जा रही है।

xii. नाव की उपलबधता के संबंध में पूछे जाने पर प्रभारी पदाधिकारी, आपदा द्वारा बताया गया कि जिले में दो नाव सरकारी है तथा 52 निजी नाव चिन्हित किये गये है, जिसका निबंधन अभी नहीं कराया गया है। समय रहते निबंधन करा लिया जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो लोग नावों का निबंधन नहीं करायेंगे, उनका नाव जब्त कर लिया जायेगा।

xiii. बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर खाद्यान्न की उपलब्धता के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम द्वारा बताया गया कि जो भी खाद्यान्न उपलब्ध है, वह जन वितरण प्रणाली (एन0एफ0एस0ए0 कोटा अन्तर्गत) का है। बाढ़ के लिए अलग से कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। निदेश दिया गया कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए खाद्यान्न का स्टॉक किया जाना आवश्यक है। खाद्यान्न स्टॉक करने की व्यवस्था शीघ्र की जाय।

xiv. बाढ़ की स्थिति में सड़कों की सुरक्षा के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि बाढ़ के समय जहाँ–जहाँ सड़क में कटाव (रेन कट) होता है, उसे चिन्हित कर लिया गया है। इस साल अभी तक कहीं भी रोड कटाव नहीं हुआ है। कटाव से बचाव के लिए बोल्डर उपलब्धता हेतु विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है।

xv. सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक कार्य योजना के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि उसके लिए नर्सरी लगाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया सुखाड़ की स्थिति होने पर डीजल अनुदान की व्यवस्था की गयी है, जिसमें बिचड़ा के लिए 02 सिंचाई के लिए और धान की रोपनी उपरांत पटवन के लिए 400 रू0 प्रति एकड़ सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाना है, जिसके लिए किसानों से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही सुखाड़ होने की स्थिति में आकस्मिक फसल लगाने के लिए तोरिया का 250 क्वीटंल, कुल्फी का 25 क्वींटल एवं अरहर का 25 क्वींटल बीज की माँग की गयी है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

20/7/2018

चैतन्य प्रसाद,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 3838 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 23/7/18

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/7/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3838 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 23/7/18

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– 3838 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवीनगर, रफीगंज एवं दाउदनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/7/2018

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3838 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 23/7/18

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/7/2018

प्रधान सचिव